

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

कुलदीप

बनाम

हन्दरा

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

205/2025
222

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p>18.5.25 23</p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>कुलदीप कोसा</u></p> <p>पिता श्री <u>सुखारामण कोसा</u></p> <p>निवासी- <u>बस्ता</u> तहसील- <u>बस्ता</u> जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>बस्ता</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>1192</u></p> <p><u>0.27</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> कुल रकबा <u>0.2700</u> हे० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>बस्ता</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1192</u></p> <p><u>0.27</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> रकबा <u>0.27</u> हे० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500</u> रुपये अक्षरे <u>पानच की मात्र</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(खीन देवत) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>